निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 39/2019
दायरा दिनांकः– 01.07.2019
निर्णय दिनांकः– 27.8.25

उनवान

1. छीतरलाल आयु 70 वर्ष पुत्र गोपाल
2. ग्यारसा आयु 65 वर्ष पुत्र गोपाल
3. मूल्या उर्फ मूलचन्द आयु 58 वर्ष पुत्र गोपाल जातियान चमार ऐरचान निवासीगण ग्राम बारई थाना व तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मोहनलाल आयु 52 वर्ष पुत्र जानकीलला
2. जगदीश आयु 48 वर्ष पुत्र जानकीलाल
3. रवि आयु 26 वर्ष पुत्र मोहनलाल जातियान चमार निवासीगण लालबाई का चौक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भंवर जी खटीक के मकान के पास छबडा
4. सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा जिला बारा (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 एवं

निर्णय दिनांकः– 27.8.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राकेश कुमार शर्मा – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बारई तहसील छबडा में खाता संख्या 71/72 में भूमि आराजी खसरा नम्बर 360 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा बारानी अवस्थित है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी भू–अभिलेखमें प्रार्थीगण के खातेदारी में अंकित है और कब्जे काश्त में प्रार्थीगण के ही चली आ रही है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी है। जिस पर पहले प्रार्थीगण के पिता का तथा पिता की मृत्यु के बाद करीब 60–70 वर्ष से प्रार्थीगण शांतिपूर्वक सब से बिना किसी व्यवधान के काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में भी उक्त आराजी पर प्रार्थीगण काबिज है। चार–पांच वर्ष से उक्त आराजी प्रार्थीगण ने पहले दो–तीन वर्ष तक अप्रार्थीगण को पांती काश्त पर जुताया था, दो वर्ष से उक्त आराजी को मुनाफा काश्त पर जुताया था। मुनाफा काश्त का समय अप्रेल (वैशाख) 2019 में पूरा हो चुका है और आराजी पुनः प्रार्थीगण के कब्जे काश्त

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

में आ गई। प्रार्थीगण ने दो माह पूर्व उक्त आराजी को हाक दिया व फसल बोने के लिए आराजी को तैयार कर दिया था तो दिनांक 12.04.2019 शुक्रवार रात्रि 10 बजे करीब तीनों अप्रार्थीगण । लगभग 3 रात्रि 10 बजे एकराय होकर गाली–गलौच करते हुए प्रार्थी व्यवस्था के मकान के अंदर घुस गए व धमकी दी कि तुमने जमीन छुड़ाने की कोशिश क्यों की, जमीन को क्यों हांका और अप्रार्थी सभी से जमीन छुड़ाने व फसल बोने की क्यों कहा व धक्का मुक्की की व धमकी दी कि जमीन पर आ गए तो हाथ–पैर काटकर रख देंगे, तुम्हारी लाशे उठाकर लाओगे तथा जबरन जमीन पर कब्जा करने व फसल बोने की धमकियां दी। मौके पर उपस्थित आए लोगों ने अप्रार्थीगण को समझाकर भगाया वरना मारपीट कर गंभीर घटना कारित कर देते। प्रार्थीगण ने इसकी रिपोर्ट थाना छबड़ा में भी दी। दिनांक 26.06.2019 को समस्त अप्रार्थीगण 10–12 गुंडे को साथ लेकर ट्रेक्टर लेकर विवादग्रस्त आराजी पर पहुंचे और जबरन आराजी में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर प्रवेश कर बोने का प्रयास किया तो प्रार्थीगण को पता चला, प्रार्थीगण व गांव वाले मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर भाग गए। मगर जाते जाते धमकी देकर गए कि मौका देखकर भविष्य में उक्त आराजी पर कब्जा कर फसल बोकर ही दम लेंगे। जिससे प्रार्थीगण को यह भय उत्पन्न हो गया है कि यदि अप्रार्थीगण को नहीं रोका गया तो किसी रोज भविष्य में जबरन कब्जा करके प्रार्थीगण को बेदखल करके फसल बो देंगे और संगीन घटना कारित कर देंगे। प्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त आराजी के खातेदार व कब्जे काश्त है। जिन्हें उक्त आराजी पर कब्जा व काश्त करने के समस्त वैधानिक अधिकार प्राप्त है। जबकि अप्रार्थीगण 1 ता 3 को ऐसा कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन प्रार्थीगण को बेदखल करके बलपूर्वक नाजायज कब्जा करके काश्त करे। यदि अप्रार्थीगण अपने कुमन्तव्य में सफल हो गए तो प्रार्थीगण को अपनी आराजी से महरूम होना पड़ेगा व अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से नहीं हो पाएगी व अनैकानेक मुकदमों में उलझना पड़ेगा। इस कारण अप्रार्थीगण को तुरंत पाबंद किया जाना अतिआवश्यक है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 की ओर से जवाब पेश हुआ प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बारई सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 71 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बारई नकल खसरा गिरदावरी ग्राम बारई सम्वत् 2074–77 पेश की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब में बताया की उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी मोहनलाल और जगदीश द्वारा आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व 12000/– रुपए में खरीद ली थी। तब से मोहनलाल एवं जगदीश का कब्जा चला आ रहा है। वर्तमान में भी मोहनलाल और जगदीश का ही कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण मोहनलाल व जगदीश का उक्त भूमि पर 35 वर्ष आज तक कब्जा होने से एडवर्स पजेशन हो चुका है। इसलिए अप्रार्थीगण मोहन व जगदीश उक्त भूमि को अपने खाते में दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण को पाबंद किया जावे कि न तो इस जमीन पर कब्जा करे और ना ही अपने एजेन्टों से करावे व प्रतिवादी जगदीश व मोहन को बेदखल नहीं करें। इसके लिए भी पाबंद किया जावे। प्रतिवादी मोहन और जगदीश का एडवर्स पजेशन होने से इस भूमि को वादीगण के खाते से हटाकर प्रतिवादी मोहन व जगदीश के खाते बांधकर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बारई तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थीगण के खातेदारी एव कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी है। जिस पर प्रार्थी के पिता का एवं उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण का लगभग 50–60 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में विवादित आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है। प्रार्थी द्वारा दो तीन वर्ष के लिए अप्रार्थीगण को विवादित आराजी पांती काश्त पर जुपाया था। मुनाफा काश्त का समय समाप्त होने के बाद ही अप्रार्थीगण विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहतें है। अप्रार्थीगण का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नही है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। की वह प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधां उत्पन्न नही करें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी मोहनलाल व जगदीश द्वारा आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व 12000/– हजार रूपये में खरीदी थी तब से आज दिनांक तक मोहनलाल व जगदीश का भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजी पर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का लगभग 35 वर्ष से लगातार कब्जा होने के कारण विवादित भूमि को एडवर्स पजेशन के आधार पर अपने नाम खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। प्रार्थीगण जबरन भूमि पर कब्जा करना चाहतें है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा भूमि का लगभग 35 वर्ष पूर्व बेचान किया जा चुका है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। प्रार्थीगण को पाबन्द किया जावें। की अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 71/72 ग्राम बारई खसरा नम्बर 360 छीतर, ग्यारसा, मूल्या पिसरान गोपाल गंगा बेवा गोपाल जाति चमार सा0देह के नाम खातेदारी में दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2075 खसरा नम्बर 360 में छीतर ग्यारसा मुल्या पिसरान गोपाल मु0 गंगा विधवा गोपाल का नाम दर्ज है। अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा होना अंकित किया है। एवं प्रार्थी ने मुनाफा काश्त पर देने एवं पुनः कब्जा स्वयं का होना अंकित किया है। यधपि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य/सबूतों के आधार पर तय होगा तथा प्रार्थीगण रिकाडेर्ड खातेदार है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः वाद बहुलता को रोकने एवं मौके पर शातिं व्यवस्था बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक मौके की यथास्थिती बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादित आराजी वाके ग्राम बारई तहसील छबडा के खसरा नम्बर 360 रकबा 2.03 बीघा पर मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा